

हुक्मनामा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा राज0
प्रकरण संख्या : पत्थरगढी 154/2022

दिनांक : 26.8.22

भगवतीलाल पिता बालुराम जी जाति मेघवाल आयु वयरक निवासी फलासिया तह0
भदेसर जिला चित्तौडगढ राज0।

.....प्रार्थी

// बनाम //

स्कूल ग्राउण्ड जरिये प्रधानाचार्य महोदय, रा.उ.मा.वि. विद्यालय, निम्बोदा तह0 निम्बाहेडा
जिला चित्तौडगढ राज0।

.....विपक्षी

कार्यवाही घारा 128 रा0ले0रे0 एक्ट

प्रेषिती :-

श्रीमान् तहसीलदार, तहसील निम्बाहेडा राज0

जो कि प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अपनी खातेदारी की आराजीयात ग्राम निम्बोदा प0ह0 निम्बोदा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सरसी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 की खाता संख्या नया 82 जिसके आ0 न0 281 रकबा 2.1600 हैक्टेयर लगानी 2.16 हैक्टेयर स्थित है, इस आशय की पत्थरगढी पेश की। साथ में नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस पेश की। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पडौसी है। प्रार्थी राजस्व रेकॉर्ड में प्रश्नगत भूमि के खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, निम्बाहेडा को...।०००...../-रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभयपक्ष को सूचना देते हुए मौके पर कोई विवाद नही होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही होने पर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की बिना किसी के कब्जे में दखलअन्दाजी किए आराजी की पत्थरगढी कर सीमा चिन्ह रोपे। पालना रिपोर्ट न्यायालय में 15 दिवस में पेश करे।

यह हुक्मनामा आज दिनांक 26.8.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर न्यायालय से जारी किया गया।



उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौडगढ)